(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं.02/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल, 2020

विषयः विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया– आवेदन की वास्तविक प्रति को प्रस्तुत करने हेतु समयावधि में छूट।

यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया पुस्तक में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैः

(i) प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 7(क) 01 के उप खण्ड (ग) के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाता हैः

"तथापि, दिनांक 01.02.2020 को या इसके बाद दिनांक 30.09.2020 तक इलेक्ट्रानिक रूप से भेजे जानेवाले आवेदनों हेतु, निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ–7(क)क के प्रिंट आउट की वास्तविक पीडीएफ प्रति दिनांक 30.10.2020 तक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को मैन्युअल रूप से भेजी जा सकती है।"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः–संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन की वास्तविक प्रति प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान में छूट दी गई है।

अमित यादव
13/4/2020
(अमित यादव)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलःdgft@nic.in

(फा. सं. 01/92/180/01/एएम–20/पीसी–VI से जारी)